कोटा में 487 किलो अवैध डोडा-चूरा व नौ किलो अफीम सहित दो गिरफ्तार

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो कार्रवाई कर अवैध डोडा-चूरा व अफीम जब्त की

कोटा, (निसं)। मादक पदार्थ विरोधी अभियान को जारी रखते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ 487 किलो डोडा-चूरा एवं 9 किलो अफीम सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त दोनों कार्रवाई केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई।

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में डोडा-चूरा की तस्करी करने वाला है। सूचना पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ सेल, चितौड़गढ़ -तृतीय डिवीज़न की एक टीम गठित की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि गठित टीम ने बाड़े में पहुँचने पर देखा कि जगह चारों तरफ़ से लगभग 20 फीट ऊँची दीवारों से घिरी हुई थी और मेन गेट भी लगभग 20 फीट ऊँचा था और बंद था।

कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो ने डोडा-चूरा बरामद किया।

प्रिवेंटिव पार्टी को देखते ही आरोपी ने बाड़े के अंदर खड़ी बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी। आग और उसमें रखे नशीले पदार्थों के नष्ट होने की आशंका को देखते हुए प्रिवेंटिव पार्टी का एक कांस्टेबल बहुत हिम्मत दिखाते हुए 20 फीट का गेट फांद कर अंदर घुसा और अंदर से गेट खोला। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि जांच के बाद मामले में सामने आया कि मादक पदार्थ से लदी एक बोलेरो गाड़ी जल रही थी और पास में भैंसें भी बंधी हुई थी। प्रिवेंटिव पार्टी के सदस्यों ने बाड़े में बंद घबराए हुए जानवरों को खोला और उन्हें सुरक्षित बाहर ले गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, इस बीच आग पर पानी डाल के काबू पा लिया गया। टीम के सदस्यों ने आस-पास के इलाके में आरोपी की तलाशी की तो आरोपी बाड़े के एक कोने में भूसे के ढेर के पीछे छिपा हुआ मिला। गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेने पर 323.630 किलाग्राम अवैध डोडा-चूरा मिला, जिसे 13 बैग में दोबारा पैक किया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद डोडा-चूरा और गाड़ी को जब्त कर लिया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया, प्रकरण में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

अफीम व डोडा चूरा पकड़ा :- केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मुखबीर की सूचना पर एक घर पर छापामार कर अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडा-चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि जिला चितौड़गढ़ के तहसील डूंगला के गांव झाजलवास में एक घर में व्यक्ति ने अवैध मादक पदार्थ जमा किया हुआ है। सूचना पर सीबीएन चितौड़गढ़ सेल, चितौड़गढ़ डिविजन-तृतीय के अधिकारियों की टीम गठित की गई और टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली तो टीम को 9.570 किलोग्राम अवैध अफीम और 163.420 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद हुआ और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

2.58 करोड़ रु. के कॉपर चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

- गिरफ्तार आरोपी मालीराम यादव थाना प्रागपुरा का हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है
- पुलिस टीम ने करीब 150 सीसीटीवी की फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की
- पुलिस ने पूर्व में ही चोरी किया गया कॉपर तथा घटना में प्रयुक्त कंटेनर और ट्रक बरामद कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था

पावटा, (निसं)। पुलिस थाना प्रागपुरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुये करीब 2 करोड़ 58 लाख मूल्य के कॉपर की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मालीराम यादव थाना प्रागपुरा का हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है।

जिला कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्नोई ने बताया कि थाना प्रागपुरा में दर्ज प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले के खुलासे एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। यह टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजीम अली खान के सुपरविजन तथा वृत्ताधिकारी विराटनगर उमेश निठारवाल के निर्देशन में प्रागपुरा थाना प्रभारी भजनाराम के नेतृत्व में गठित की गई। गठित टीम ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की सहायता से जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने पूर्व में ही चोरी किया गया कॉपर तथा घटना में प्रयुक्त कंटेनर और ट्रक बरामद कर लिया था। मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों में इरफान पुत्र साजिद अली, निवासी वेलकम, सीलमपुर, दिल्ली रिंकू बागड़ी पुत्र श्रीपाल बागड़ी, निवासी तावडू, जिला नूंह (मेवात), मिंटू उर्फ सुखबीर पुत्र रामेश्वर, निवासी बुरहेड़ा, थाना खुशखेड़ा जिला भिवाड़ी शामिल है, जिन्हें 6 जनवरी 2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वहीं प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मालीराम पुत्र घीसाराम यादव, निवासी प्रेमनगर (त. मंडा), थाना प्रागपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और पूर्व में भी आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस द्वारा मामले में आगे का अनुसंधान जारी है तथा अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

प्रागपुरा थाना प्रभारी भजनाराम ने बताया कि परिवादी राजेश सिंह ने गत 4 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका ट्रक 1 जनवरी को मेहसाणा (गुजरात) से 2 करोड़ 58 लाख 12 हजार 500 रुपये मूल्य का कॉपर भरकर भिवाड़ी के लिए रवाना हुआ था। ट्रक को ड्राइवर अनिल सिंह शेखावत चला रहा था। तीन जनवरी की रात शाहजहांपुर टोल व उसके बाद बलदौद टोल से टोल कटने के मैसेज मिले। देर रात ड्राइवर से संपर्क करने पर फोन बंद मिला। चार जनवरी को तलाश के दौरान ट्रक प्रागपुरा स्थित ममता होटल के पास खाली खड़ा मिला। होटल गार्ड ने बताया कि रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच ट्रक के पीछे आई एक सफेद कार में बैठकर ड्राइवर चला गया। ट्रक से पूरा कॉपर माल गायब मिला। इस पर पुलिस थाना प्रागपुरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

तीन सौ रुपये के लेनदेन को लेकर श्रमिक की हत्या

मृतक व आरोपी दोनों साथ ही मजदूरी करते थे और दोनों मजदूरी के मिले रूपयों को लेकर विवाद कर बैठे थे

कोटा, (निसं)। नान्ता थाना इलाके में मजदूरी के रूपयों के लेन-देन के विवाद को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात्रि को मात्र तीन सौ रूपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद साथी ने अपने साथी श्रमिक पर गुनिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, हमले में घायल को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने रविवार को मृतक के परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया एवं मामले में आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नांता थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गालाल मेरोठा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक व आरोपी दोनों साथ ही मजदूरी करते है और दोनो मजदूरी के बाद मिले रूपयो को लेकर विवाद कर बैठे थे। एएसआई ने बताया कि मृतक झालावाड़ जिले के भवानीमंडी पिपलिया चौराहा निवासी रमेश बैरवा (40) था जो इलाके के नान्ता में रहकर मजदूरी करता था। आरोपी भी झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना इलाके की बड़ी खीमच निवासी परमा बैरवा है। एएसआई दुर्गालाल मेरोठा ने बताया कि मामले में सामने आया कि इलाके के पत्थर मंडी में जहां दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे, इस दौरान मजदूरी के रूपयों को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई।

एएसआई दुर्गालाल मेरोठा ने बताया कि आरोपी परमा ने उसके साथी मजदूर रमेश पर गुनिया से उसके सिर पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों की शिकायत पर हमलावर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले में फरार हमलावर की तलाश की जा रही है।

करंट लगने से किसान की मौत

पावटा, (निसं)। विराटनगर उपखंड के मेड़ क्षेत्र के बिहाजर ग्राम में कृषि कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। ट्यूबवेल पर स्टार्टर चालू करते समय 11 हजार वोल्ट का करंट दौड़ने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई, वहीं पुलिस प्रशासन की देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया।

जानकारी के अनुसार पूरावाला पंचायत के ग्राम छिंड निवासी बाबूलाल गुर्जर सुबह अपने ट्यूबवेल पर कृषि कार्य कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्टार्टर चालू किया, उसमें अचानक 11 हजार वोल्ट का करंट प्रवाहित हो गया और वे उसकी चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें मेड़ सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक बाबूलाल गुर्जर चार भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर बताई जा रही है।

एसीबी की कार्रवाई के बाद पंचायतीराज का एलडीसी शुभकरण परिहार निलंबित

- बीकानेर में पांच ठिकानों पर एसीबी की सर्च में मिले सोना-चांदी, नकदी और बैंक खाते सीज किये
- बैंक खातों और जमीनों व अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद कुल संपत्ति का आकलन किया जाएगा

बीकानेर, (निसं)। पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ सहायक (एलडीसी) शुभकरण परिहार (छींपा) को निलंबित कर दिया गया है। उनके पांच ठिकानों पर एसीबी की सर्च में मिले सोना-चांदी, नकदी और बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। अचल संपत्ति का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए बीकानेर में पूनरासर निवासी और फलोदी की ग्राम पंचायत कानासर हाल बाप पंचायत समिति की उदट ग्राम पंचायत में पदस्थापित कनिष्ठ सहायक शुभकरण छींपा के पांच ठिकानों पर सर्च की थी। इस दौरान उसके पास 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति का पता चला, जबकि एसीबी ने 15 सालों में उसकी नौकरी से अर्जित वैध आय करीब 17 लाख रुपए माना। आरोपी के जयपुर रोड स्थित मातेश्वरी एन्क्लेव, व्यास कॉलोनी, गंगाशहर रोड छींपों का मोहल्ला, मूल निवासी श्रीडूंगरगढ़ के पूनरासर गांव और फलोदी में कानासर व उदट से सर्च में मिला सोना, चांदी, नकदी, बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। उसके अलग-अलग जगह मिले मकान, जमीनों का आकलन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अनुसंधान अधिकारी एसीबी की बीकानेर चौकी के एएसपी विनोद कुमार ने सर्वेयर की टीमों को आरोपी के ठिकानों पर भेजा गया है। इसके अलावा आरोपी के तीन बैंक खाते सीज किए गए हैं जिनकी छानबीन की जाएगी। सर्वे, बैंक खातों और जमीनों व अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद कुल संपत्ति का आकलन किया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी जाएगी। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने भ्रष्ट तरीकों से करोड़ों रुपयों की अवैध संपत्तियां अर्जित की है।

आरोपी के रहवासी मकान संख्या 10 मातेश्वरी एन्क्लेव कॉलोनी, वैष्णोधाम के सामने से करीब 76 लाख रुपये नकद, मकान मातेश्वरी एन्क्लेव कॉलोनी, वैष्णोधाम एवं बागीनाडा छींपो का मोहल्ला गंगाशहर रोड से करीब 1.500 किग्रा सोना और करीब तीन किलो चांदी, बीकानेर शहर में तीन आलीशान मकान और दो भूखंड, एक आलीशान मकान और दो भूखंड गांव पूनरासर में, करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि, एक स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट कार, एक बोलेरो कैम्पर, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक हीरो मोटरसाइकिल के दस्तावेज आदि मिले थे। एसीबी को पंचायतराज विभाग के एलडीसी के पास से अब तक 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्तियों का पता चला है। इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वर्ष, 10 में नौकरी लगे कर्मचारी की अब तक वैध आय 17 लाख रुपए मानी गई, उसने करोड़ों रुपए की अवैध दौलत कैसे हासिल कर ली। इसमें आरोपी के अलावा विभागीय कामकाज का सिस्टम भी जांच के घेरे में आ गया है। आरोपी ने भ्रष्ट तरीके से अकेले ही करोड़ों रुपए की संपत्तियां हासिल की या उसके साथ अन्य लोगों की मिलीभगत है, यह भी जांच का विषय है।

नोखा में डोडा-पोस्त से भरी तस्करों की कार पलटी, दो की मौत

- बिजली के पोल से टकराकर बेकाबू हुई कार, सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को उड़ाया
- कार से 60 किलो अवैध डोडा-पोस्त बरामद किया, चालक की भी हादसे में मौत हो गई

नोखा, (निसं)। बिजली के पोल से टकराकर बेकाबू हुई कार की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार पलट गई। कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। कार में अवैध डोडा-पोस्त भरा था। हादसा बीकानेर में नोखा के चरकड़ा गांव के पास नेशनल हाइवे-62 (नागौर से बीकानेर) पर रविवार सुबह करीब आठ बजे हुआ।

नोखा थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि गाड़ी से 60 किलो अवैध डोडा-पोस्त बरामद किया गया है। यह कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जांच हो रही है। पुलिस जांच में मृतक (ड्राइवर) के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। नोखा थाना पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह नागौर से नोखा की ओर आ रही इनोवा कार चरकड़ा में बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर से अनियंत्रित हुई कार ने सड़क किनारे जा रहे चरकड़ा निवासी नारायण सिंह राजपूत (58) को चपेट में ले लिया। नारायण सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार में ड्राइवर राजूराम (29) और रामसर निवासी लालचंद गोदारा सवार थे। नारायण को टक्कर मारने के बाद कार सड़क पर पलट गई। राजूराम और लालचंद गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को नोखा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान राजूराम ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, लालचंद का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही नोखा पुलिस मौके पर पहुंची। कार की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में डोडा-पोस्त भरा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरामद डोडा-पोस्त की जांच करवाई जा रही है। दोनों शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतकों के परिजन नोखा जिला अस्पताल पहुंचे।

बाइक व ट्रैक्टर की टक्कर, एक घायल

बूंदी, (निसं)। देईखेड़ा क्षेत्र में कोटा-दौसा मेगा हाइवे पर आजन्दा मोड़ के समीप एक ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर व बाइक की गति धीमी होने से बड़ा हादसा टल गया परन्तु बाइक सवार गम्भीर घायल हो गया।

हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों व स्थानीय निवासी भेरू सिंह ने बताया कि रविवार शाम को छ बजे करीब आजन्दा मोड़ के यहां से ट्रैक्टर में डीजल भरवाकर सड़क पर आते ही कुछ चलने पर सामने से आई रही बाइक से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार उछल कर दूर गिर गया और बाइक ट्रैक्टर में उलझ कर कुछ मीटर तक घसीटती चली गई। गनीमत रही कि उस सड़क पर अन्य वाहन नहीं आने से बड़ा हादसा टल गया। बाइक सवार कोटा निवासी राजेन्द्र गम्भीर घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर चालक हनुमान मीणा सकुशल रहा।

युवक की मौत के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

- विराटनगर थाना क्षेत्र के मैड़ निवासी सुभाष मेहरा की एक साल पूर्व हुई मारपीट के बाद चंदवाजी के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना क्षेत्र के मैड़ निवासी सुभाष मेहरा की भाबरू थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व हुई मारपीट एवं उपचार के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि 8 फरवरी 2025 को किरों की ढाणी निवासी विनोद मेहरा ने मामला दर्ज करवाया था कि कैलाश ने गुर्जरपुरा निवासी रजनीश गुर्जर सहित अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सुभाष मेहरा के साथ मारपीट की व गंभीर हालत में टांडा पुलिया के पास पटक फरार हो गए थे। उपचार के दौरान सुभाष मेहरा की मौत हो गई थी, जिस पर मृतक के परिजनों ने मामले की जांच व आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए विराटनगर थाना पुलिस से करवाने की मांग की थी। जिस पर विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाते हुए चार फरार आरोपियों कैलाश चंद, अजय सिंह निवासी चतरपुरा, रजनीश निवासी गुर्जरपुरा, मनीष उर्फ मुन्ना निवासी बियावास तन बीलवाड़ी को गिरफ्तार किया।

थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने विराटनगर थाने का घेराव कर 17 घंटे धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद विधायक कुलदीप धनखड़ व पुलिस के उच्चाधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था। मृतक के भाई मैड़ निवासी विनोद मेहरा ने आरोप लगाया था कि मृतक सुभाष मेहरा जवानपुरा निवासी संवेदक के पास रोड पर पट्टी बनाने का काम करता था। जिसमें पूर्व में किए कार्य का बकाया था। 4 जनवरी को संवेदक ने सुभाष को बकाया रुपए देने की कहकर गांव जवानपुरा बुलाकर 8-10 साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर टांडा पुलिया के पास पटक गए थे। पीड़ित को घटना के बारे में बताने पर परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे एवं पीड़ित की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान पीड़ित ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने 8 फरवरी 2025 को भाभरू थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित की चंदवाजी के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

रूपवास तहसील कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से रिकॉर्ड जला

एलआरसी शाखा कमरा नंबर 29 में भीषण आग लग गई थी

भरतपुर, (निसं)। रूपवास कस्बे के तहसील कार्यालय स्थित एलआरसी शाखा कमरा नंबर 29 में रविवार को शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस हादसे में शाखा में रखा महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। हालांकि, दमकल की मुस्तैदी से एक बड़े हिस्से को जलने से बचा लिया गया, लेकिन तहसील परिसर में सुरक्षा इंतजामों की पोल जरूर खुल गई।

- तहसील परिसर में आग बुझाने के लिए अग्निशमन उपकरण तो लगे हुए थे, लेकिन वे एक्सपायर हो चुके थे
- सूचना मिलते ही दमकलकर्मी वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

रूपवास के तहसील कार्यालय स्थित एलआरसी शाखा कमरा नंबर 29 में आग से रिकॉर्ड जल गया।

जानकारी के अनुसार निकट ही मौजूद कमरा नंबर 27 में पटवारी शिवराज कार्य करने के दौरान शौचालय गए थे। तभी पटवारी को कमरा नंबर 29 एलआरसी कम्प्यूटर शाखा में से धूंआ निकलता दिखाई दिया। घटना के समय तहसील में कार्यरत पटवारी शिवराज कमरा नंबर 27 के कंप्यूटर कक्ष में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह शौचालय की ओर गए, अचानक कमरा नंबर 29 एलआरसी कम्प्यूटर शाखा से धुआं निकलता दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी तहसीलदार अमित शर्मा और नगरपालिका की दमकल टीम को दी। घटना के दौरान तहसील कार्यालय की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि तहसील परिसर में आग बुझाने के लिए अग्निशमन उपकरण तो लगे हुए थे, लेकिन वे लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण एक्सपायर हो चुके थे। आपात स्थिति में इन उपकरणों के काम न करने से कर्मचारियों में रोष देखा गया। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी यतेन्द्र योगी, दीपक शर्मा, धर्मेंद्र चौधरी और आजाद दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल के पहुंचने तक कुछ महत्वपूर्ण फाइलें और रिकॉर्ड जल चुके थे, लेकिन समय रहते आग बुझाने से आसपास के कमरों तक लपटें नहीं फैली। तहसील प्रशासन अब जले हुए रिकॉर्ड का आकलन कर रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज इस आग की भेंट चढ़े हैं।

ट्रक से 70 लाख की शराब व बियर के कार्टन बरामद, दो गिरफ्तार

ट्रक में आलू की बोरियों में छुपाकर रखी पंजाब-हरियाणा निर्मित शराब और बियर के 606 कार्टन बरामद किए

- आरोपियों से शराब तस्करी मामले में पूछताछ जारी

पाली, (निसं)। पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर पंजाब-हरियाणा निर्मित शराब व बीयर से भरा ट्रक बरामद किया, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए हैं। इस मामले में पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।

सीओ ग्रामीण अमर सिंह रत्नु ने बताया कि 14 फरवरी की रात को रोहट थाना पुलिस को अवैध शराब ले जाने की जानकारी मिली। इस पर थाना क्षेत्र में निबली टोल पर नाकाबंदी की। ट्रक ड्राइवर को आता देख पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने नाकाबंदी तोड़ ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। पुलिस ने पीछे का ट्रक को रुकवाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी करने पर ट्रक में आलू की बोरियों में छुपा कर रखी पंजाब हरियाणा निर्मित शराब और बियर के 606 कार्टन बरामद किए। जिसकी बाजार में अनुमानित लागत 70 लाख है। मामले में पुलिस ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया और बाड़मेर जिले के धनाउ थाना क्षेत्र के सारणों की नाड़ी नवलता राठौरना निवासी आसुराम पुत्र हनुमानराम और बाड़मेर जिले के ही जारणों की वेरी कोलियाना भजनलाल पुत्र भागीरथ राम को गिरफ्तार किया। आरोपी यह शराब कहां से लाए हैं और कहां लेकर जा रहे थे, पूछताछ जारी है। इस दौरान रोहट थाना क्षेत्र के एएसआई माडाराम कांस्टेबल भैराराम, गोविंद सिंह, रामप्रकाश सुरेश, महिला कांस्टेबल गुड़िया कार्रवाई में शामिल रही।

अवैध मादक पदार्थ सहित दो तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करेड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी और गश्त के दौरान 14 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (एमडीए) के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.40 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण हेतु टीम गठित की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सहाड़ा) बुद्धराज और पुलिस उप अधीक्षक (आसीन्द) ओमप्रकाश के सुपरविजन में थानाधिकारी पुरण मल मीणा के नेतृत्व में टीम रात्रि गश्त पर थी। गश्त के दौरान कस्बे के चारभुजा कॉम्प्लेक्स, होण्डा शोरूम के सामने एक संदिग्ध मारुति वैगनआर कार खड़ी दिखाई दी। तलाशी लेने पर कार सवारों के कब्जे से 14 ग्राम अवैध एमडीए बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ और वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें प्रमोद माली पुत्र गोपाल माली निवासी मोड़ का निम्बाहेड़ा (आसीन्द) और मुकेश तेली पुत्र गजानन्द तेली, निवासी भगवानपुरा (माण्डल) शामिल है।